तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/9/20	तारीख पेशी जनरल नोटिस हेतु बदली आने पर पत्रावली आलेख्य हुई। वकील प्रार्थी अ0/अर्जी नं. 1, 2, 4, 5 श्री ओमप्रकाश विनोद कुमार शर्मा ए0 30 ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसकी नकल दिलाई गई। पत्रावली दि0 14/10/20 को पेश हो। [signature]	
14/10/20	वकील फरीकैन अ0। बहस उभय पक्ष लायक सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि0 11/11/20 को पेश हो। [signature]	
11/11/20	वकील फरीकैन अ0। पुकार हुआ। वास्ते आदेश दिनांक 2·12·20 को पेश हो।	
2/12/20	वकील फरीकैन अ0। बहस मजीद सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर प्रमाणित किया गया। पत्रावली फैसल दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु०नं०	प्रा० पत्र	ता०दायरा	ता०निर्णय
32 / 20	अस्थायी निषेधाज्ञा	08.07.20	02.12.2020

रामजीलाल पुत्र मीरवल उम्र 70 साल जाति मीना निवासी डाबरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

01. कंचन पुत्र सुक्या उम्र 62 साल।
02. दिनेश पुत्र सुक्या उम्र 50 साल।
03. धनेश पुत्र सुक्या उम्र 45 साल।
04. संदीप पुत्र कंचन उम्र 35 साल।
05. दिलखुशी पुत्र कंचन उम्र 30 साल सभी जाति मीना निवासीयान डाबरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री श्यामप्रकाश गर्ग वकील प्रार्थी।
श्री विनोद कुमार शर्मा वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि अन्य जमीनो के साथ आराजी खसरा नं0 2414 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम डाबरा तहसील सपोटरा प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। जिससे अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। अप्रार्थीगण गिरोहबंद झगड़ालू किस्म के पैसे वाले व ताकत वाले व्यक्ति है जबकि प्रार्थी बुजुर्ग उम्र 70 साल का है जिस कमजोरी का फायदा उठाकर जमीन को अप्रार्थीगण प्रार्थी से छीनने पर उतारू है। दिनांक 07.07.2020 को प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त जमीन की देखभाल ... जमीन पर गये तो अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम जमीन को जबरन काश्त करेंगे और ताकत के बल पर बेदखल करेंगे व कब्जे काश्त मे नदाखलत मजाहमत पैदा कर जमीन काश्त करने से वंचित कर देगें। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण ने जरिये वकील उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 2414 अप्रार्थी सं0 1 की खरीदशुदा भूमि है। जिस पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे दर्ज अप्रार्थीगण को गलत तरीके से लिखाया गया है। प्रार्थी द्वारा धनेश व दिनेश के अलग अलग नाम दर्ज कर दो व्यक्तियो को दानिस्ता पक्षकार बतौर अप्रार्थी बनाया गया है। जबकि धनेश व दिनेश एक ही व्यक्ति है, जो एक ही व्यक्ति के दो नाम है, धनेश को दिनेश के भी नाम से जाना जाता है। धनेश उर्फ दिनेश एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा दावा व प्रार्थना पत्र मे पक्षकारो का जानबूझकर गलत संयोजन किया है। प्रार्थी का उक्त जमीन से कोई ताल्लुक नही है। उक्त जमीन खसरा नं0 2414 को करीब 20 वर्ष पूर्व अपने पारिवारिक बंटवारा के आधार पर अपने हिस्से की उक्त जमीन पर काबिज काश्त चला आ रहा है। 20 वर्षो से प्रार्थी का उक्त जमीन से कोई लेना देना नही रहा है। प्रार्थी रामजीलाल के पुत्र रामराज द्वारा अपने कब्जे काश्त व हिस्से की उक्त जमीन को दिनांक 13.04.2020 को अप्रार्थी सं0 1 कंचनलाल मीना को 9,50,000/– रूपये मे विक्रय कर दिया और उसी दिवस रामराज द्वारा अप्रार्थी सं0 1 से संपूर्ण विक्रय कीमत नगद प्राप्त कर जमीन पर कब्जा अप्रार्थी नं0 1 को संभला दिया गया। दिनांक 13.04.2020 से ही उक्त जमीन अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही है और इस समय

उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला–करौली

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जमीन पर बाजरा की फसल काश्त की गई है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी जाकर उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075–78 प्रार्थी खसरा नं0 2414 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी को प्रार्थी के पुत्र समयराज द्वारा जरिये विकय पत्र इकरारनामा के खरीदने संबंधी विकय पत्र प्रस्तुत किया है जो कि अपंजीकृत बयनामा है एवं प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि को बेचने के अधिकार किसी दीगर व्यक्ति को प्राप्त नही होते है। अतः विकय पत्र शुरूआत से ही शून्य एवं प्रभावहीन है। अप्रार्थीगण को इस विकय पत्र से विवादित आराजी मे कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। विवादित आराजी के संबंध मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 08.07.2020 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि ग्राम डाबरा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 2414 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा मे प्रार्थी के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी ना तो स्वयं करे ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावे। निर्णय आज दिनांक 02.12.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with CamScanner